<u>उत्तर प्रदेश शासन</u>

<u>पर्यटन अनुभाग</u>

<u>संख्या-259/2020/4180/41-2020-01(बजट)/2018टीसी-3</u>

लखनऊ दिनांक 11 नवम्बर, 2020

<u>संख्या-228/2020/2736/41-2020-01(बजट)/2018टीसी-3 दिनांक 15 अक्टूबर 2020</u>

<u>का शुद्धि पत्र</u>

जनपद उन्नाव के बक्सर में स्थित राजाराव रामबक्श सिंह शहीद पार्क के सौन्दर्यीकरण कार्य कराये जाने हेतु अवशेष वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-228/2020/2736/41-2020-01(बजट)/2018टीसी-3 दिनांक 15 अक्टूबर 2020_के संदर्भ में महानिदेशक, पर्यटन के पत्रांक- 3462/6-1-1/(02)/मु0मं0घो0/2018-19 दिनांक 27-10-2020 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त अवशेष स्वीकृति विषयक शासनादेश के प्रस्तर**-4** में त्रुटिवश **800-अन्य व्यय के स्थान पर 104-संवर्द्धन तथा प्रचार** अंकित हो गया है, जिसके कारण धनराशि का आहरण नहीं हो पा रहा है। अत: तदनुसार संशोधन आदेश निर्गत करने की अपेक्षा की गई है।

2. अत: एतद्द्वारा शासनादेश संख्या-228/2020/2736/41-2020-01(बजट)/2018टीसी-3 दिनांक 15 अक्टूबर 2020 के प्रस्तर-4 में त्रुटिवश अंकित_लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-40- जनपद उन्नाव में पर्यटन विकास-4001-राजाराव रामबक्श सिंह पार्क में अवस्थापना सुविधाओं का सृजन-24-वृहत् निर्माण कार्य **को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय--40- जनपद उन्नाव में पर्यटन विकास-4001-राजाराव रामबक्श सिंह पार्क में अवस्थापना सुविधाओं का सृजन-24-वृहत् निर्माण कार्य अंकित किया जाता है।**

3- शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-259/2020/4180/41-2020-01(बजट)/2018टीसी-3 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- आयुक्त ,लखनऊ मण्डल/जिलाधिकारी, उन्नाव।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।,
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।,
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0आर0एन0एस0एस0 , लखनऊ।
8- अधिशासी अभियन्ता, यू0पी0आर0एन0एस0एस0 प्रखण्ड-1 लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
10- क्षेत्रीय प्रर्यटक अधिकारी, लखनऊ।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in